संख्याः / XVII–2 / 14–39(विविध) / 2002–TC

प्रेषक,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज / महिला कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी, नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः \ जनवरी, 2014

विषयः–वृद्धावस्था पेंशन योजना, निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान एवं विकलांग भरण पोषण अनुदान योजनान्तर्गत दरों में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–459 / XVII(i)–2 / 2005–01(10) / 2005 दिनांक 17 जून, 2006 एवं शासनादेश संख्या–57 / XVII–2 / 2010–06(91) / 2006 दिनांक 09 फरवरी, 2010 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वृद्धावस्था एवं निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान योजना की दर रू0 400 / – तथा विकलांग पेंशन की दर रू0 600 / – की गई थी।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वृद्धावस्था पेंशन योजना, निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान एवं विकलांग भरण पोषण अनुदान योजनान्तर्गत (केन्द्रांश की धनराशि को सम्मिलित करते हुये) वर्तमान दरों में वृद्धि करते हुए रू0 800 / – प्रति लाभार्थी प्रतिमाह किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3. उक्तानुसार बढ़ाई गई दरें दिनांक 01 जनवरी, 2014 से प्रवृत्त होगी।

4. उक्त तीनों पेंशनों में बढी हुई दर रू0 800 / – में केन्द्राश भी सम्मिलित है।

5. शासनादेश संख्या–915 / XVII–02 / 2010–06(05) / 2009 दिनांक 01 फरवरी, 2010 द्वारा विकलांग भरण पोषण अनुदान योजना के अन्तर्गत उन विकलांगों, जो 'The Person with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Right and Full Participation) Act, 1995 की धारा–2n के अनुसार कुष्ठ रोग मुक्त विकलांग है, को रू0 1,000 / – प्रति लाभार्थी प्रतिमाह पूर्व की भांति अनुमन्य रहेंगी।

6. उक्त योजनाओं के अन्तर्गत दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में पूर्व शासनादेश संख्या–459 / XVII(i)–2 / 2005–01(10) / 2005 दिनांक 17 जून, 2006 एवं शासनादेश संख्या–57 / XVII–2 / 2010–06(91) / 2006 दिनांक 09 फरवरी, 2010 को एतद्द्वारा अतिक्रमित समझा जायेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–66 / XXVII(1) / 2014 दिनांक 17 जनवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव।

(2)

पृष्ठांकन संख्याः /8 / XVII-2/14-01(10)/2005 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, सचिव, राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
4. आयुक्त, कुमांयू/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बी0 आर0 टम्टा)

अपर सचिव।